

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/12724/2013/अलेसे-III/ 482

दिनांक:- 21-3-2023

कार्यालय आदेश

श्रीमती कविता रानी गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नं 12724/2013) कार्यालय न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, बीकानेर को दिनांक 07.11.2019 से 30.05.2020 तक तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, बीकानेर के साथ-साथ न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम-3, बीकानेर में कनिष्ठ लेखाकार के पद का अतिरिक्त कार्य संपादित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 07.11.2019 से 30.05.2020 तक का राजस्थान सेवा नियमों के नियम-35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (रिक्त होने की दिनांक से अधिकतम 6 माह) नियमानुसार एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

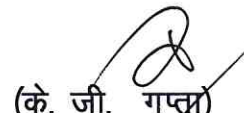
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/148/92/अलेसे-III/ 482

दिनांक:- 21-3-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, बीकानेर।
2. न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम-3, बीकानेर
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्रीमती कविता रानी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम-1, बीकानेर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीटा/रक्षित/निजी पत्रावली।


(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)